

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0

पटना, दिनांक-

बिहार सरकार, परिवहन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-8374, दिनांक-15.11.2019 द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र के वैधता की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटा दिया गया है, जो दिनांक-12.02.2020 तक प्रभावी था, को पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप इस अधिसूचना के बिहार गजट के प्रकाशन की तिथि से दिनांक-30.09.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

2. इस योजना का लाभ बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस प्रमादी वाहनों पर ही लागू होगा।
3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0...4347

पटना, दिनांक-11/6/2020

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4am
29/5

सरकार के सचिव

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0

पटना, दिनांक-

बिहार सरकार, परिवहन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-8374, दिनांक-15.11.2019 द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र के वैधता की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटा दिया गया है, जो दिनांक-12.02.2020 तक प्रभावी था, को पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप इस अधिसूचना के बिहार गजट के प्रकाशन की तिथि से दिनांक-30.09.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

2. इस योजना का लाभ बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस प्रमादी वाहनों पर ही लागू होगा।
3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....4347

पटना, दिनांक- 11/6/2020

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6 am
29/5

सरकार के सचिव

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0

पटना, दिनांक-

बिहार सरकार, परिवहन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-8374, दिनांक-15.11.2019 द्वारा फिटनैस प्रमाण-पत्र के वैधता की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटा दिया गया है, जो दिनांक-12.02.2020 तक प्रभावी था, को पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप इस अधिसूचना के बिहार गजट के प्रकाशन की तिथि से दिनांक-30.09.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

2. इस योजना का लाभ बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक फिटनैस प्रमादी वाहनों पर ही लागू होगा।
3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....

पटना, दिनांक- 11/6/2020

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

Liam
29/5

सरकार के सचिव

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0

पटना, दिनांक-

बिहार सरकार, परिवहन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-8374, दिनांक-15.11.2019 द्वारा फिटनैस प्रमाण-पत्र के वैधता की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटा दिया गया है, जो दिनांक-12.02.2020 तक प्रभावी था, को पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप इस अधिसूचना के बिहार गजट के प्रकाशन की तिथि से दिनांक-30.09.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

2. इस योजना का लाभ बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक फिटनैस प्रमादी वाहनों पर ही लागू होगा।
3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि०...4347 पटना, दिनांक-11/6/2020
प्रतिलिपि :- आई.टी.मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड
करने हेतु प्रेषित।

Liam
29/5
सरकार के सचिव